FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0056 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/04/2024 21:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 04/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:33 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/04/2024 **Time (समय):** 21:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/04/2024 21:57:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 145 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** cineworld road, balaji soyachape near, ajmer

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** vishnu kumar gupta

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** late bajrang lal gupta

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	b 501, MHARANA PRTAP NAGAR KORDA, AJMER, C.P.S Jaipur, ACB DISTRICT, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	b 501, MHARANA PRATAP NAGAR KORDA, KOTDDA AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9414002567

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Deepak agarwal		पिता:omnarayan agarwal	1. new geeta colony,kirti nagar ke samne,ajmer,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		55,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 55,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सोया चाप के सामने मिलेगा। समय करीब 06. 05 पी.एम पर परिवादी विष्णु कुमार को स्वंय सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिशिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा, प्रथम विषय रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन हे कि मै प्रार्थी विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व. श्री बजरंग लाल गुप्ता जाति अग्रवाल उम्र 49 वर्ष निवासी म.न. बी 501, महाराणा प्रताप नगर, कोटडा अजमेर का निवासी हॅू तथा पेशे से सिविल कॉन्ट्रेक्टर हॅू। तथा मेरी फर्म मैसर्स विष्णु कुमार गुप्ता के नाम से है तथा फर्म का रजिस्ट्रेशन 951 दिनांक 12-10-17 को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर से है। जीएसटी नं. 08AEDPG0518G1ZZ है। मेने पुष्कर नगर पालिका मे वर्क आर्डर न. 4244 दिनांक 5-1-23 को भुमिगत कचरा पात्र के चारो और सोन्दर्यकरण एवं रंग रोशन का कार्य किया गया था । उक्त कार्य मेरे द्वारा 5-2-23 को पूर्ण कर नगर पालिका पुष्कर मे जमा करवा दिया था। मेरे उक्त कार्य पेटे कुल राशि कटोती पश्चात रूपये 337873 का भुगतान होना है। मेरा इस कार्य का बिल पत्रावली महा जुलाई 2023 से पुष्कर नगर पालिका की लेखा शाखा मे श्री दीपक अग्रवाल AAO के पास रखी हुई है। मेने श्री दीपक अग्रवाल से जाकर कई बार मिला व हाथा जोडी कर बिल को पास कर ट्रेजरी भिजवाने हेतू निवेदन किया लेकिन हर बार टालमोल कर मुझे परेशान कर रहा है। मैने दिनांक 28-3-24 को पुष्कर नगर पालिका मे जाकर श्री दीपक अग्रवाल जी से मिला तो उसने मुझे कहा कि आपका बिल कम्पलीट कर ट्रेजरी भिजवाना है तो आपको मुझे 5 प्रतिशत के हिसाब से 17000 रू. कमीशन देनी पडेगी। श्री दिपक अग्रवाल मेरे से पूर्व के बिलो के भुगतान राशि 645453 दिनांक 21-3-24 व 67256 दिनांक 29-3-24 की कुल राशि 712709 रूपये के पॉच प्रतिशत के लगभग 35000/- रू कमिशन के तौर पर रिश्वत राशि की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्य की कुल 22729 पत्रावलीयो की SD राशि रू लगभग 4.50 लाख रू भुगतान करने के एवज मे भी 10 प्रतिशत की दर से कमीशन के रूप रिश्वत की मांग कर रहा है। इस प्रकार 170003500045000 97000 रू की कुल मांग कर रहा है मै मेरे जायज कार्य की एवज मे श्री दिपक अग्रवाल AAO को कमिशन के तौर पर रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू बल्की भ्रष्ट लोक सेवक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु श्री दिपक अग्रवाल से मेरा कोई लेन देन बकाया नही है ओर ना ही कोई रंजिश है। श्री दिपक अग्रवाल कमिशन के तौर पर रिश्वत लिये बेगर अलग अलग कार्या की कुल राशि 97000/- रू के बिना मेरी पेन्डींग बिलो व निर्माण कार्या की SD रिफंड को पास कर ट्रेजरी नही भेजेगा रिपोर्ट करता हॅु कानुनी कार्यवाही करे। प्रार्थी एसडी विष्णु कुमार गुप्ता 1-4-2024 (विष्णु कुमार गुप्ता) पुत्र श्री स्व बजरंग लाल गुप्ता उम्र 49 वर्ष बी 501, महाराणा प्रताप नगर, कोटडा अजमेर 9414002567, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एसडी पारसमल 01-04-24 समय 6.00 पीएम कार्यवाही पुलिस- कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों भीलवाडा-प्रथम दिनांक- 01.04.2024 समय-6.00 पीएम उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रार्थी श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री बजरंगलाल जी गुप्ता जाति अग्रवाल उम्र 49 वर्ष निवासी मकान नं0 बी-501 महाराणा प्रताप नगर, कोटडा, पुलिस थाना क्रिश्चनगंज, अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर प्रार्थना पत्र श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों भीलवाडा-प्रथम के नाम से इस आशय का मुझ उप अधीक्षक पारसमल के समक्ष प्रस्तुत किया। मन् उप अधीक्षक द्वारा इस संबंध में श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिहं जी को जरिये मोबाइल हालात निवेदन किये। श्रीमान द्वारा मुझ उप अधीक्षक को जरिये मोबाइल अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। मन उप अधीक्षक ने परिवादी श्री विष्णु कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में दरयाप्त की तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी स्वंय की कलमी है, तथा मेरे द्वारा लिखी गई है। मैने बी.कॉम तक की पढाई की है। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मै वर्ष 2014-15 से सिविल कान्ट्रेक्टर का कार्य करता हॅू तथा मेरी फर्म मै. विष्णु कुमार गुप्ता के नाम से है। मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० (GST NO- 08AEDPG0518G1ZZ) तथा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर से कार्यालय आदेश क्रमांक 951 दिनांक 12.10.2017 से मेरा बी श्रेणी का स्थाई संवेदक के रूप में पंजीकरण है। मैने पुष्कर नगर पालिका में वर्क ऑर्डर क्रमांक 4244 दिनांक 05.01.2023 से पुष्कर पालिका क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय के पास, भीषमदास जी का अखाडा, नरसिंह जी के मंदिर के पास, रामधाम अजमेर रोड, ब्रहा मंदिर के पीछे, सूर्य धर्मशाला चौक एवं शीतला माता मंदिर के पास एवं अन्य जगहो पर स्थित अर्द्ध भूमिगत कचरा पात्रों के चारो और सौन्दर्यकरण एवं रंगरोगन का कार्य मेरे द्वारा किया गया था। उक्त कार्य मेरे द्वारा दिनांक 05.02.23 को पूर्ण कर बिलों से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर बिलो को नगर पालिका

पुष्कर में जमा करवा दिये। मैरे इस बिल की भुगतान राशि समस्त कटौतियों के बाद 3,37,873 बनती है। मेरे इस कार्य पेटे बिल नगर पालिका पुष्कर की लेखा शाखा में श्री दीपक अग्रवाल एएओ (सहायक लेखाधिकारी) के पास माह जुलाई 2023 से रखे हुए है। तथा मै कई बार नगर पालिका पुष्कर में जाकर श्री दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी से मिला और मेरे बिलों को तैयार कर ट्रेजरी भिजवाने के लिये हाथा-जोडी कर निवेदन किया, लेकिन हर बार मुझे कोई न कोई बहाना करके टालमटोल कर मुझे परेशान कर रहा है। मै दिनांक 28.03.24 को नगर पालिका पुष्कर में जाकर श्री दीपक अग्रवाल से मेरे बिलों को तैयार कर ट्रेजरी भिजवाने हेतु कहा तो श्री दीपक अग्रवाल ने कहा कि आपका बिल तैयार कर ट्रेजरी भिजवाना है, तो आपको बिल की राशि का 5 प्रतिशत राशि बतौर कमीशन मुझे देनी पडेगी तभी आपके बिल ट्रेजरी भेजूंगा। मेरे भुगतान योग्य राशि के पाँच प्रतिशत राशि करीबन 17000/ रूपये बतौर कमीशन रिश्वत राशि मांग रहा है। इसके अलावा दीपक अग्रवाल मेरे से मेरे निर्माण कार्य के बिलों के भुगतान राशि 6,45,453 रूपये दिनांक 21.03.24 व भुगतान राशि 67256 रूपये दिनांक 29.03.24, कुल राशि 7,12,709 रूपये की 5 प्रतिशत कमीशन राशि लगभग 35,000/रुपये, तथा विभिन्न निर्माण कार्यो की सिक्युरिटी डिपाजिट राशि 4.50 लाख रूपये रिफंड की कुल 29 फाईले को तैयार कर ट्रेजरी भिजवाने एवं भुगतान करने की एवज में 4.50 लाख रूपये का 10 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इस प्रकार श्री दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी कुल 97000/ रूपये (सत्यानवे हजार रूपये) रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्य की एवज में श्री दीपक अग्रवाल एएओं को 97000/रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ, बल्कि भ्रष्ट लोकसेवक को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री दीपक अग्रवाल से कोई लेन-देन बकाया नही है और न ही कोई रंजिश है। श्री दीपक अग्रवाल मेरे से कमीशन के तौर पर 97000/ रूपये रिश्वत राशि ग्रहण किये बगैर मेरे पेंडिंग बिलों एवं निर्माण कार्यो की एसडी रिफंड बिलों को पास कर ट्रेजरी नही भेजेगा। आज मै आपको मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन, वर्क ऑर्डर क्रमांक 4244 दिनांक 05.01.2023, आधार कार्ड, एवं फोटो आपको प्रस्तुत कर रहा हॅू। एसडी श्री दीपक अग्रवाल परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इस पर परिवादी श्री विष्णु कुमार को संदिग्ध श्री दीपक अग्रवाल से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने बाबत् कहने पर बताया कि आज शीतला सप्तमी का त्यौहार है, तथा अभी समय भी ज्यादा होने से दीपक अग्रवाल मेरे से मेरे लम्बित कार्य के संबंध में वार्ता नही करेगा तथा मै ज्यादातर उसके ऑफिस में बातचीत करता हूँ, तो भी वो कहता है, कि मेरे से मेरे घर पर आकर बात करो। अभी श्री दीपक अग्रवाल की डयूटी पुष्कर एसडीएम ऑफिस मेंचुनाव लगी हुई है। इसलिये मै कल शाम को उसके घर जाकर मेरे पेंडिंग बिलों सेसंबंधित लम्बित कार्य एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। परिवादी के बताये अनुसाररिश्वत राशि मांग सत्यापन कल शाम दिनांक 02.04.24 को ही होगा। इस परिवादी को ट्रेपकार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई एवं कल दिनांक 02.04.24 को शामको अजमेर में एसओ से मांग सत्यापन कार्यवाही के लिये उपस्थित होने के निर्देश दिये।परिवादी को रूखसत किया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक02-04-2024 को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय कार्मिक श्री रामपाल सहायक उपनिरीक्षक व श्री गजेन्द्र सिंह निस्टेबल नं. 15 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर की जाने वालीगोपनीय ट्रेप कार्यवाही एवं मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही हेतु कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री
रामपाल सउनि ने 8 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का एक नया मैमोरी कार्ड व कार्यालय की डिजिटल वाइस रिकार्डर लाकर मुझ पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया। इस समय मन पुलिस उप अधीक्षक पारसमल मय श्री रामपाल सउनि व श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 मय डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन से अग्रिम कार्यवाही हेतु अजमेर रवाना हुआ। हालत वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये। मन उप अधीक्षक पारसमल मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन के अजमेर पहुंचा तथा परिवादी के मोबाईल पर वार्ता की गयी तो बताया कि मैं अभी पुष्कर आया हुआ हूँ तथा आज मुझे दिन के 3-4 बजे नगर पालिका पुष्कर में श्री दीपक अग्रवाल मिला था, जिसने मुझे कहा कि अभी थोडी देर बाद मिलना इसके बाद श्री दीपक अग्रवाल ने मुझे कहा कि शाम को 7.30 से 8 पी.एम के बीच मेरे घर आ जाना। परिवादी नें बताया कि दीपक अग्रवाल ड्यूटी से घर जाते समय अक्सर अजमेर रोड लीला सेवडी, पीएचईडी ऑफिस के सामने ढाबो पर मिलता है तथा बातचीत भी करता है, हो सकता है कि दीपक अग्रवाल यही पर मिल जाये तो मैं मेरे कार्य के संबंध में दीपक अग्रवाल से वार्ता कर लूंगा। इस पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता के पुष्कर के लिये रवाना हुआ। मन पारसमल पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ते के परिवादी द्वारा बताये हुये स्थान पुष्कर लीला सेवडी, पीएचईडी ऑफिस के सामने ढाबो पर पहुंचा जहां परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता अपना स्कूटर लेकर उपस्थित मिला। जिस पर परिवादी ने बताया कि दीपक अग्रवाल ने मुझे बोला था कि यही मिलना है, लेकिन वह शायद जल्दी ही अजमेर अपने घर के लिये निकल गया है। अब वह मेरे से शाम को 7.30 पी. एम से 8 पी.एम के बीच घर पर ही वार्ता करेगा। मन पारसमल पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन के परिवादी के स्कूटर के पीछे पीछे अजमेर के लिये रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक मय जाप्ते के परिवादी के पीछे पीछे अजमेर उसके आवास बी- 501, महाराणा प्रताप नगर कोटडा अजमेर पहुंचे। जहां पर परिवादी ने बताया कि दीपक अग्रवाल 7.30 पी.एम से पहले मेरे से वार्तालाप नही करेगा और हो सकता है मै जल्दी जाउंगा तो उसको शंका उत्पन्न हो जायेगी। इस पर

परिवादी के आवास पर मुकीम रहे। समय करीब 7.15 पी.एम पर मन् पारसमल पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री विष्णु कुमार का कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह का आपस में परिचय करवाया तथा कानि. श्री गजेन्द्र सिंह को परिवादी के साथ जाकर एस.ओ. से की जाने वाली मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड करने के निर्देश दिये तथा परिवादी व कानिस्टेबल के आपस में मोबाईल नम्बर साझा किये । तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार को डिजिटल वाइस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गयी । तथा परिवादी को बताया कि आप कानिस्टेबल के साथ जाकर श्री दीपक अग्रवाल से अपने लंबित कार्य के संबंध में एवं रिश्वत राशि मांग से संबंधित वार्तायें कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड करे तत्पश्चात एक नया मैमोरी कार्ड 8 जी.बी. का डिजिटल वाइस रिकार्डर में डालकर कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह को सिपुर्द कर निर्देश दिये कि आप परिवादी को एस.ओ. के पास वार्ता के लिये रवाना करने से पूर्व डीवीआर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें। समय पी.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार एवं कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह को परिवादी की स्वयं की निजी कार से एस.ओ. के आवास राधाकृष्ण विहार न्यू गीता कॉलोनी कीर्तिनगर के सामने फायसागर रोड अजमेर की तरफ रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस एवं श्री रामपाल सउनि प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर परिवादी के पीछे-पीछे राधाकृष्ण विहार, न्यू गीता कॉलोनी कीर्तिनगर के सामने फायसागर रोड अजमेर पहुंचे जहां पर निर्देशानुसार कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी को एस.ओ. के आवास पर रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक प्राईवेट वाहन के बालकेश्वर मंदिर के पास मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री विष्णु कुमार एवं श्री गजेन्द्र सिंह कानिस्टेबल, मुझ उप अधीक्षक के पास आये तथा परिवादी ने बताया कि मुझे श्री गजेन्द्र सिंह जी ने कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकार्डर चालू कर दिया जिसको मैने अपनी शर्ट की उपर की जेब मे रखकर श्री दीपक अग्रवाल से वार्ता करने उसके घर के पास जाकर श्री दीपक अग्रवाल को व्हाट्स एप्प कॉल किया तो उसने रिसीव नही किया, तो मैने उसके घर पर जाकर आवाज लगाई, तो उसके पिताजी ने बाहर आकर बताया कि दीपक अपनी फैमिली को लेकर शीतला माता के मेले में गया हुआ है। अभी घर पर नही है, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा एस.ओ. के इंतजार में ज्ञान विहार गेट के आस पास मुकीम रहें तथा एस.ओ. दीपक अग्रवाल की फोन की लोकेशन लेने हेतु तकनिकी शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि श्री दीपक अग्रवाल घर पर आ चुका है जिस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी के एस.ओ. के आवास की तरफ रवाना हुये। समय करीब 9.50 पी.एम पर कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह ने निर्देशानुसार डिजिटल वाइस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द किया तथा परिवादी को स्वयं की कार से एस.ओ. के आवास पर रवाना किया तथा कानिस्टेबल श्री गजेन्द्र सिंह को निर्देश दिये कि आप अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के एस.ओ. के आवास पर पहुंचने, आवास में प्रवेश करने व आने जाने पर नजर रखे तथा मन् उप अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन के बालेश्वर मंदिर के पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये उपस्थित रहें कुछ समय पश्चात परिवादी श्री विष्णु कुमार एवं कानि. श्री गजेन्द्र सिंह मुझ उप अधीक्षक के पास आये तथा डिजिटल वाइस रिकार्डर सुपुर्द किया। कानि. श्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि निर्देशानुसार परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल वॉइस रिकार्डर मैने चालू कर दिया, जिसने वाँइस रिकार्डर को चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की ऊपर की जेब में स्वयं की कार से एस.ओ. श्री दीपक अग्रवाल के आवास पर पहुंचे। मैं श्री विष्णु कुमार को उनकी कार से उतरकर एस.ओ. के मकान पर प्रवेश करते एवं बाहर आते समय देख रहा था। डिजिटल वाइँस रिकार्डर को परिवादी एवं एस.ओ. की मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड हुई। इस पर परिवादी ने बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर दिया जिसको मैने अपनी शर्ट की उपर की जेब मे रखकर श्री दीपक अग्रवाल से वार्ता करने हेतु कार से उसके आवास पर पहुंचा और आवाज लगाई, श्री दीपक अग्रवाल ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया तथा बातचीत की तथा मेरे कार्य के संबंध में श्री दीपक से वार्ता की तो उसने मेरे से मेरे पेंडिंग बिलो को ट्रेजरी भिजवाने, फाइले तैयार करने एवं पूर्व में निर्माण कार्यों के बिलो की भुगतान राशि में बतौर कमीशन रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता हुई। जिसमें श्री दीपक अग्रवाल ए.ए.ओ. ने पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में भूमिगत कचरा पात्रो के सौन्दर्यीकरण एवं रंग रोगन कार्यो के बिल राशि 3,37,387 का 3 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 10,000 रूपये, सिक्यूरिटी डिपोजिट रिफंड की 29 फाइलो की कुल भुगतान राशि 4,50,000 का 10 प्रतिशत कमीशन राशि जोडकर 42000 रूपये एवं पूर्व निर्माण कार्यो के भुगतान हुई राशि 6,45,453 की 4 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन रिश्वत राशि 26000 रूपये तथा अन्य निर्माण कार्य का बिल राशि 67256 की 5 प्रतिशत कमीशन राशि 3000 रूपये कुल राशि 81000 रूपये बतौर कमीशन रिश्वत की मांग की। मेरे निवेदन करने पर 80,000 रूपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद श्री दीपक अग्रवाल ने मेरे से 25000 रूपये रिश्वत के ग्रहण करते हुए शेष राशि 55000 रू की और मांग की। शेष राशि कल तक लेने पर राजी हुआ है। तत्पश्चात रिकार्ड वार्ताओं को सुनने हेतु परिवादी के आवास बी-501, महाराणा प्रताप नगर कोटडा रवाना होकर पहुँचा। परिवादी के आवास बी-501 महाराणा प्रताप नगर कोटडा पर पहुंचे तथा कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई तथा एस.ओ. श्री दीपक अग्रवाल द्वारा परिवादी से उसके पेंडिंग बिलो को ट्रेजरी भिजवाने, सिक्यूरिटी डिपोजिट रिफंड की 29 फाइलो को तैयार कर पास आर्डर लगाने तथा पूर्व में किये निर्माण कार्यो के भुगतान बिलो में बतौर कमीशन 81000/- रिश्वत राशि की मांग कर 80000/- लेने पर सहमत हुआ तथा वक्त मांग सत्यापन ही 25,000/- रिश्वत

राशि ग्रहण कर शेष 55,000/- की राशि परिवादी से कल लेने पर सहमत हुआ । अतः एस.ओ. द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करना पाये जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली शेष राशि 55,000/- की व्यवस्था कर कल दिनांक 03.04.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। परिवादी ने बताया कि मैं आपके पास कल दिनांक 03.04.2024 को रिश्वत राशि 55,000/- रूपये की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर भीलवाडा हेतु रवाना हुए। दिनांक 03.04.2024 समय करीब 01.15 ए.एम पर मन् पारसमल उप अधीक्षक, मय श्री रामपाल सउनि मय श्री गजेन्द्र सिंह कानि के अजमेर से बाद कार्यवाही कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा प्रथम पहुंचा। मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित डिजिटल वाँइस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति में तैयार की जायेगी। समस्त जाप्ते का प्रातः कार्यालय समय से पूर्व उपस्थित होने के निर्देश दिये। श्री राजेश कुमार उपनिरीक्षक को वास्ते स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 474 दिनांक 03.04.2024 देकर कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात श्री राजेश कुमार उनि कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री कृष्णापाल सिंह चुण्डावत पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम भादु तहसील मांडल जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा मो.नं. 8107441798 2. श्री विष्णु वर्मा पुत्र श्री भंवरलाल जाति रावणा राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कोटडी तहसील व जिला भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा मो.नं. 9829923690 के उपस्थित कार्यालय आये जिनको आवश्यक गोपनीय कार्यवाही हेतु आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता कार्यालय पर उपस्थित आया । जिस पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर स्वतंत्र गवाह की सहमति चाही गई तो दोनो गवाह ने अपनी मौखिक सहमति दी तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो स्वतंत्र गवाह को पढ़ाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री कृष्णापाल सिंह चुण्डावत कनिष्ठ सहायक व श्री विष्णु वर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा व परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता के समक्ष परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता एवं संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक अग्रवाल के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की उपरोक्त गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसस्किप्ट श्री पवन कुमार कानि. 417 से तैयार करवाई गई तथा फर्द पर गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 8.30 पी.एम पर मांग सत्यापन वक्त दिनांक 02.04.2024 की रिकॉर्डशुदा वार्ता को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह कानिस्टेबल नम्बर 15 से कनेक्ट करा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की हैस वेल्यू निकलवाई जाकर उसकी प्रिन्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रिकॉर्ड शुदा मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता के कुल तीन पेनड्राईव तैयार किये जिसमें से एक पेनड्राईव 8 जी.बी. सेनडिस्क का न्यायालय हेतु तैयार कर उसी कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर गार्क-A अंकित किया गया व एक पेनड्राईव 8 जी.बी. सेनडिस्क का आरोपी हेतु तैयार कर उसी कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-B अंकित किया गया तथा एक पेनड्राईव आई.ओ. के लिये तैयार करवाया जाकर मार्क-C अंकित कर एक कागज के लिफाफे में रखवाया गया। सिल्ड आर्टीकल्स मार्क A, B की थैली पर पर नमूना ब्रास सील अंकित की जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। समय करीब 9.00 पी. एम पर मांग सत्यापन वक्त दिनांक 02.04.2024 रिकॉर्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 8 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क- अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । सिल्ड आर्टीकल्स मार्क M की थैली पर पर नमूना ब्रास सील अंकित की जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। समय करीब 9.20 पी.एम पर परिवादी ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पायी है। कल दिनांक 04.04.2024 को 1 बजे तक रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी व गवाहान को रूख्सत किया गया। दिनांक 04.04.2024 समय करीब 11.00 ए.एम पर गवाह श्री कृष्णापाल सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री विष्णु वर्मा कनिष्ठ सहायक उप वन संरक्षक भीलवाडा उपस्थित कार्यालय आये। समय करीब 1.00 पी.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता ने अपने पास से आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी, नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 110 नोट कुल राशि 55,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए उक्त सम्पूर्ण नोटो रिश्वती राशि नोट पर श्री श्रवण कुमार हैड कानिस्टेबल से दोनो ओर फिनोफ्थेलिन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द दृष्टांत की कार्यवाही की गई । जिसकी सम्पूर्ण फर्द पृथक से मुर्तिब की गयी तथा सम्पूर्ण नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये कमशः 1. 3EG 081837, 2. 9NL 052020, 3. 0GM 636007, 4. 4SW 376440 5. 9FR 152310 6. 9BF 621224 7. 0AD 766743 8. 9DL 746597 9. 1CD 405983 10. 4MR 099951 11. 1AE 990409 12. 6DA 470839 13.0HD 083234 14. 3MA 375832 15. 1EG 131583 16, 9CL 188132 17. 0EA 430625 18. 9LU 467744 19. 6NH

595719 20. 8KF 300314 21.9QH 889895 22. 3VW 929338 23. 7BF 935415 24, 0DP 073699 25. 6BK 742646 26.0QK 494298 27. 9BB 345375 28. 2GB 861525 29, 3CH 595947 30. 7HP 010963 31. OTM 503506 32. 3GF 893369 33. ONU 489831 34,9FQ 019022 35. 1FD 576902 36. 8EN 321396 37. 1ME 939908 38. 1EL 275491 39. 9DW 103962 40. 8ND 422214 41. 5AE 092294 42. OGE 839983 43. 8NS 223242 44. 1QE 806072 45. 2CS 597806 46. 5AA 164843 47. 2BM 951049 48. 1PU 159418 49. 8ND 799600 50. 2QN 200102 51. 4HB 965867 52. 9QW 680411 53.6DM 068556 54. 9BR 838285 55. 5FP 029211 56. 9LU 489785 57. 5TB 562149 58, 8GL 316800 59, 1QW 567883 60. 6WV 468846 61. 5QH 773219 62. 0VT 505399 63. 8VU 185855 64. 5TV 407873 65. 8CH 125603 66. 8BW 884758 67.0KE 455564 68. 4CL 319888 69.9GW 291226 70. 5PQ 006523 71.9QN 693453 72. 2GV 049715 73. 3KL 102459 74. 3EG 355385 75. 1FP 867275 76. 8BM 894798 77. 3GQ 393831 78. 4FE 656689 79. 6DT 741695 80. 3RK 594763 81. 4PS 869440 82. 3PF 079377 83. 5UQ 612425 84. 9KP 399621 85. 9BP 201717 86. 4KH 332989 87. 4NH 544219 88. 8FD 913162 89. 8HL 816709 90. 6PK 524405 91. 4HB 155883 92. 2CV 319163 93. 4WG 696313 94. 1VD 592563 95. 0TP 949358 96. 2HB 555778 97. 8MD 151251 98. 3LF 947791 99. 4LL 811540 100. 7KS 274226 101. 4UN 293703 102. 8LP 058303 103. 0SR 869717 104. 4UM 498534 105. 9HB 576812 106. 3BG 700687 107. 3FR 458558 108. 2TQ 345245 109. 9BH 206128 110. 3RH 685694 है। समय करीब 2.30 पी.एम पर श्रीमति कल्पना पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश कुमार उनि, श्री नेमीचंद सउनि, श्री श्यामप्रकाश हैडकानि 11. श्री पवन कुमार कानि, श्री अशोक कुमार कानि मय लेपटॉप प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन से तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्णापाल सिंह व श्री विष्णु वर्मा व परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता, ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल सउनि, श्री गजेन्द्र सिंह कानि, श्री प्रेमराज कानि के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक लेखन सामग्री सहित दूसरे प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु अजमेर रवाना होकर रोडवेज बस स्टेण्ड अजमेर पहुंचे, जरिये दूरभाष श्रीमति कल्पना पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिये कि आप मय टीम श्री राजेश कुमार उनि, श्री नेमीचंद सउनि, श्री श्यामप्रकाश हैडकानि 11, कानि. पवन कुमार, श्री अशोक कुमार कानि मय लेपटॉप प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के सेवन वंडर अजमेर अग्रिम आदेश तक मुकिम रहने की हिदायत की। रोडवेज बस स्टेण्ड से परिवादी ने अपना स्कुटर लिया जिस पर कानि गजेन्द्र सिंह को साथ बिठाकर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान के परिवादी के निवास स्थान महाराणा प्रताप नगर कोटडा अजमेर के लिया खाना हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी के निवास स्थान महाराणा प्रताप नगर कोटडा अजमेर पहुँच कर मुकिम रहे। समय करीब 06.00 पी.एम पर परिवादी को आरोपी श्री दीपक अग्रवाल की लोकेशन मालुमात करने की कहा तो परिवादी ने अपने स्तर पर लोकेशन मालुमात कर बताया कि आरोपी नगर पालिका पुष्कर से अजमेर के लिए खाना हो गया है। वो मुझे सिने वर्ड के पास बालाजी के स्कूटर से कानि गजेन्द्र सिंह को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर व रामपाल सउनि व कानि प्रेमराज को अन्य स्कूटर से एंव मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्णापाल सिंह, श्री विष्णु वर्मा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक लेखन सामग्री सहित प्राईवेट वाहन से परिवादी के निवास स्थान महाराणा प्रताप नगर कोटडा अजमेर से रवाना सिने वर्ड की तरफ हुआ। कुछ समय पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्णापाल सिंह, श्री विष्णु वर्मा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक लेखन सामग्री सहित प्राईवेट वाहन एवं परिवादी श्री विष्णु कुमार स्वंय के स्कूटर से एंव कानि गजेन्द्र सिंह व रामपाल सउनि व कानि प्रेमराज अन्य स्कूटर से सिने वर्ड के पास सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। समय करीब 06.27 पी.एम पर कानि गजेन्द्र सिंह ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालुकर परिवादी श्री विष्णु कुमार अग्रवाल को सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत राशि लेन देन वार्ता करने हेतु रवाना किया गया । मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री कृष्णापाल सिंह, श्री विष्णु वर्मा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक लेखन सामग्री सहित प्राईवेट वाहन एवं श्री रामपाल सउनि व कानि प्रेमराज कानि, परिवादी के ईशारे के इंतजार मे सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहे। समय करीब 06.35 पी.एम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार ने सिर पर हाथ फेर कर निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्य परिवादी के पास पहुचे परिवादी ने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड चालू हालत मे पेश किया जिसे मैने बंद किया। परिवादी के पास स्कूटर पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय नगर पालिका पुष्कर है जिन्होने मेरे से अभी 55,000 रूपये रिश्वत के लेकर पहनी हुई जिन्स पेन्ट के सामने की बायी जेब मे रख लिये जिस पर उस व्यक्ति को मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने का मंतव्य से अवगत करा कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपक अग्रवाल पुत्र ओमनारायण अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर होना बताया। परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा कि इनके द्वारा नगर पालिका पुष्कर क्षेत्र मे करवाये गये निर्माण कार्य एवं कचरा पात्रो का सौन्दर्यकरण, एसडी राशि रिफंड, पूर्व के निर्माण कार्यो के भुगतान हुये बिल के कमीशन के तौर पर 55,000 रूपये

रिश्वत के प्राप्त किये है क्या जिस पर आरोपी ने बताया कि मै विष्णु कुमार जी से कोई रिश्वत राशि नही ली है कुछ दिन पहले मेरे से 55,000 रूपये उधार लिये जो लौटाये है इस बात का परिवादी ने खंडन किया। आरोपी दीपक अग्रवाल के द्वारा रिश्वत ली जाने का संदेह होने पर घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होने से मौके पर भीड भाड एकत्रित हो जाने से आरोपी के दाहिने हाथ को कानिस्टेबल गजेन्द्रसिंह व बाये हाथ को गवाह श्री विष्णु वर्मा से कलाई के उपर से पकडा कर हमराह प्राईवेट वाहन मे बिठाया तथा कानि प्रेमराज को अन्य स्कूटर से एवं परिवादी को स्वयं के स्कूटर से तथा गवाह कृष्णापाल को आरोपी के स्कूटर से मन पुलिस उप अधीक्षक प्राईवेट वाहन मय आरोपी मय हमराहीयान घटनास्थल से सुरक्षित स्थान के लिये रवाना हुये। समय करीब 07.00 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान सेवन वंडर चौपाटी के पास अजमेर पहुचे जहाॅं पर पूर्व मे पाबंदशुदा श्रीमति कल्पना पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उपस्थित मिले। पुलिस निरीक्षक को आरोपी के मकान की खाना तलाशी लेने हेतु निर्देशित कर कानिस्टेबल पवन कुमार व अशोक कुमार हमराह लेकर थाना किश्चियनगंज के लिये रवाना हुये। समय करीब 07.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान थाना क्रिश्चियनगज पहुचे जहाँ पर थानाधिकारी उपस्थित मिले जिनसे अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की करने की सहमति प्राप्त कर थाना परिसर से कम्प्यूटर कक्ष मे पहुचे। जहाॅ थानाधिकारी पुलिस थाना किश्चियनगज से ट्रैप की अग्रिम कार्यवाही करने की सहमति प्राप्त कर थाना परिसर मे स्थित कम्प्युटर कक्ष मे अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई, आरोपी श्री दीपक अग्रवाल के स्कुटर संख्या आर.जे. 01 टी.एस. 9695 को सुरक्षार्थ थाना परिसर मे खडा करवाया गया। पुलिस थाना किश्चियनगज मे रखे पानी के कैम्पर से कानि पवन कुमार कानि 417 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री दीपक अग्रवाल के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हल्का झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर. एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री दीपक अग्रवाल के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ । जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल.एच. -1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका- पुष्कर जिला अजमेर की तलाशी गवाह श्री कृष्णापाल चुडावत से लिवाई गई तो गवाह श्री कृष्णापाल चुडावत ने श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका - पुष्कर जिला अजमेर की पहनी हुई जींस की पेन्ट की सामने की बांयी जेब से कुछ रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिन कर 500-500 /- रूपये के 110 नोट कुल राशि 55,000/- रूपये होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू-ब-हू होना बताया। उक्त सभी नोटों को एक कागज के लिफाफे मे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क N अंकित कर क़ब्जे एसीबी लिये। तत्पश्चात आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी -द्वितीय, नगर पालिका- पुष्कर जिला अजमेर को परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता से नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर पर करवाये गये सिविल कार्यो संबंधित दस्तावेज के बारे पूछने पर आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी -द्वितीय ने बताया कि परिवादी के सिक्योरेटी डिपोजिट की कुछ फाईले स्वयं के मकान पर रखी होना बताया एवं शेष अन्य सिक्योरेटी डिपोजिट फाईले व भूमि कचरा पात्र, सौन्दर्यकरण, रंग रोशन कार्य से संबंधित फाईले नगर पालिका पुष्कर, अजमेर के कार्यालय मे रखी हुई होना बताया। आरोपी के स्वयं के मकान पर रखी हुई फाईलो को एंव आरोपी के पहने के हेतु एक लोवर लाने हेतु कानि पवन कुमार को हिदायत कर आरोपी के निवास पर रवाना किया गया, तथा नगरपालिका पुष्कर पर रखी फाईलो को पेश करने के लिए अधीशाषी अधिकारी श्री बनवारी लाल को जरिये फोन नंबर 79841-91684 पर सूचित किया गया। उपरोक्त फाईले आईन्दा प्राप्त की जाकर कब्जे एसीबी लिया जावेगी । तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा पूर्व मे इमरोज रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता व आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी - द्वितीय के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। पूर्व का रवानाशुद्वा श्री पवन कुमार कानि मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो आरोपी के निवास स्थान से आरोपी के पहनने के लिए एक लोवर एवं परिवादी के कार्यो से संबंधित दो फाईले पेश की, जिनका अवलोकन किया गया तथा प्रथम व अंतिम पृष्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे एसीबी ली गई। मूल फाईले आईन्दा अधीशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर को सुपूर्द कर सत्यापित प्रतियां प्राप्त की जावेगी। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई जींस पेंट को ससम्मान उतरवाकर मंगवाया गया लोवर पहनाया। इसके पश्चात श्री पवन कुमार कानि 417 के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाने के पश्चात उक्त कानि. से ही एक पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास

में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी की उतरवाई गई जींस पेंट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका-पुष्कर जिला अजमेर की उक्त जींस पेंट की सामने की बांयी जेब को सुखाकर जींस पेंट की सामने की बांयी जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करा कर उक्त पेंट को सफेद कपड़े की थेली में रखकर सीलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट पेकेट को मार्क-पी अंकित कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, पुत्र श्री ओम नारायण अग्रवाल उम्र 36 साल निवासी राधाकृष्ण विहार न्यू गीता कॉलोनी किर्तीनगर के सामने फायसागर रोड अजमेर हाल सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका-पुष्कर जिला अजमेर द्वारा परिवादी द्वारा नगर पालिका पुष्कर जिला-अजमेर क्षेत्र मे करवाये गये निर्माण कार्यो, कचरा पात्रो का सौन्दर्यकरण कार्य, पूर्व में करवाये गये निर्माण कार्यो के सिक्यूरिटी डिपोजिट रिफंड एंव पूर्व के निर्माण कार्यो के भुगतान हुये बिलो कें कमीशन के तौर पर 80 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 01.04. 2024 को ब्यूरो मे की, जिस पर दिनांक 02.04.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान कुल 80,000 रूपये रिश्वत राशि की लेने के लिए सहमत हुआ तथा दौराने मांग सत्यापन 25,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त करना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 04.04.2024 को 55,000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी द्वारा अपने हाथो से ग्रहण कर पहनी हुई जींस पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि 55,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 का अपराध का प्रमाणित पाया जाता हैं। उक्त फर्द बरामदगी टंकण समय 07.30 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 1100 पी.एम. पर सम्पन्न होकर एसीबी कार्यालय के सरकारी लेपटाप पर श्री प्रेमराज कानि 225 से तैयार करवायी गई। आरोपी श्री दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका-पुष्कर जिला अजमेर को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। गवाह श्री कृष्णापाल सिंह चुण्डावत कनिष्ठ सहायक व श्री विष्णु वर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाडा व परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता के समक्ष परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता एवं आरोपी दीपक अग्रवाल के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तथा रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की उपरोक्त गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री पवन कुमार कान्सटेबल नम्बर 417 से तैयार करवाई गई तथा फर्द पर गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.04.2024 समय करीब 12.20 ए.एम. पर रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 04.04.2024 की रिकॉर्डशुदा वार्ता को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह कानिस्टेबल नम्बर 15 से कनेक्ट करा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की हैस वेल्यू निकलवाई जाकर उसकी प्रिन्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रिकॉर्ड शुदा मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता के कुल तीन पेनड्राईव तैयार किये जिसमें से एक पेनड्राईव 8 जी. बी. सेनडिस्क का न्यायालय हेतु तैयार कर उसी कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क - A-1 अंकित किया गया व एक पेनड्राईव 8 जी.बी. सेनडिस्क का आरोपी हेतु तैयार कर उसी कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-B-1 अंकित किया गया तथा एक पेनड्राईव आई.ओ. के लिये तैयार करवाया जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवा मार्क-C-1 अंकित किया गया। सिल्ड आर्टीकल्स मार्क A-1, B-1 की थैली पर नमूना ब्रास सील अंकित की जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि लेन देन वक्त दिनांक 04.04.2024 रिकॉर्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 8 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क-M-1 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सिल्ड आर्टीकल्स मार्क M-1 की थैली पर पर नमूना ब्रास सील अंकित की जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। समय करीब 01.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री दीपक अग्रवाल हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर की जामा तलाशी मे मिला एक मोबाईल विवो कंपनी का जिसमें एक सिम एयरटेल कंपनी 9829655753 व एक सिम जिओ कंपनी 7014785204 की लगी हुई है को जरिये फर्द जप्ती बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। समय करीब 02.05 ए.एम. पर पैन ड्राईव बनाने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल पर पहुँच कर फर्द घटनास्थल निरीक्षण मुर्तिब किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, पुत्र श्री ओम नारायण अग्रवाल उम्र 36 साल निवासी राधाकृष्ण विहार न्यू गीता कॉलोनी किर्तीनगर के सामने फायसागर रोड अजमेर हाल सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका-पुष्कर जिला अजमेर द्वारा परिवादी द्वारा नगर पालिका पुष्कर जिला-अजमेर क्षेत्र मे करवाये गये

निर्माण कार्यो, कचरा पात्रो का सौन्दर्यकरण कार्य, पूर्व में करवाये गये निर्माण कार्यों के सिक्यूरिटी डिपोजिट रिफंड एंव पूर्व के निर्माण कार्यो के भुगतान हुये बिलो कें कमीशन के तौर पर 80 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 01.04.2024 को ब्यूरो मे की, जिस पर दिनांक 02.04.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान कुल 80,000 रूपये रिश्वत राशि की लेने के लिए सहमत हुआ तथा दौराने मांग सत्यापन 25,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त करना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 04.04.2024 को 55,000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी द्वारा अपने हाथो से ग्रहण कर पहनी हुई जींस पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि 55,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री दीपक अग्रवाल, पुत्र श्री ओम नारायण अग्रवाल उम्र 36 साल निवासी राधाकृष्ण विहार न्यू गीता कॉलोनी किर्तीनगर के सामने फायसागर रोड अजमेर हाल सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका-पुष्कर जिला अजमेर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। (पारसमल)पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा - प्रथम .....कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों भीलवाडा प्रथम, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1- श्री दीपक अग्रवाल पुत्र ओमनारायण अग्रवाल उम्र 36 वर्ष निवासी राधाकृष्ण विहार न्यू गीता कोलोनी किर्तीनगर के सामने फायसागर रोड़ अजमेर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री कल्पना बंशीवाल पुलिस निरीक्षक भीलवाड़ा -प्रथम को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रपट 73 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 266 - 269 दिनांक 05.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा -प्रथम । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/04/2024 22:03:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)